

### Revision of Electoral Rolls

2119. SHRI AJ IT KUMAR SHARMA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the revision of electoral rolls in the different States and Territories of India has been completed;

(b) whether Government have decided the dates for the next general elections to the Lok Sabha; and

(c) whether the electoral rolls of Assam are being revised on the basis of the 1971 electoral rolls?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL):

(a) Election Commission has intimated that the revision of electoral rolls in all States and Union territories except the State of Assam and a few constituencies in Jammu and Kashmir with reference to 1-1-1984 as the qualifying date has since been completed.

(b) No, Sir

(c) The Commission addressed the Government of Assam for ascertaining whether the State Government would be able to undertake revision of the rolls in the entire State by taking 1971 electoral rolls as the basic document and bringing them up-to-date. The Commission has intimated that it is awaiting the reply of the State Government in the matter.

**पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या**

2120. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जातियों, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े

वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) :** पटना उच्च न्यायालय में इस समय 34 न्यायाधीश पदासीन है। उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कोई भी न्यायाधीश अनुसूचित जाति या आदिवासी समुदाय का नहीं है, पांच न्यायाधीश अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और एक न्यायाधीश पिछड़े वर्ग का है।

रानी झांसी रोड़ पर स्टोल का सामान बनाने वाली कम्पनियों के मजदूरों को मजदूरों का भुगतान न किया जाना

2121. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के (झण्डेवाला) रानी झांसी रोड़ पर स्टोल का सामान बनाने वाली कई कम्पनियों ने अपने मजदूरों को श्रम कानून के तहत मजदूरी का भुगतान नहीं किया है/भुगतान नहीं कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन मालिकों द्वारा श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जाता है उनके विरुद्ध कौन-सी कार्रवाही की गयी है, उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है। जैसे ही वह प्राप्त होगी, वैसे ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।